

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।  
फौजदारी वाद संख्या : 268 वर्ष 2022  
CNR N0 UKCL020003912022  
धनीराम पाल बनाम राजू शाह।

धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881

दिनांक : 06.07.2022

आज यह परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह रावत व श्री भीमेन्द्र सिंह रावत द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया। अवलोकित। दर्ज रजिस्टर हो।

इस न्यायालय के प्रकीर्ण आदेश संख्या 17/2021 दिनांकित 08.10.2021 के अनुपालन में प्रस्तुत पत्रावली न्यायालय सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर के न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(सचिन कुमार)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
चमोली।

दिनांक 06.07.2022

आज यह परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह रावत व श्री भीमेन्द्र सिंह रावत द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी द्वारा स्वयं का शपथीय बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 14.07.2022 को प्रस्तुत हो।

प्रभारी सिविल जज/  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
गोपेश्वर।